

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/5690 /

जबलपुर, दिनांक 26 / 10 / 2018

श्रीमति पल्लवी सिन्हा, स्टेनोग्राफर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "एल.एल.बी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर) की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5691 /

जबलपुर, दिनांक 26 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्रीमति पल्लवी सिन्हा, स्टेनोग्राफर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(यू. एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
Par

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5696 /
दो-14-9/83 भाग-18 बैंच

जबलपुर, दिनांक 26/10/2018

श्री सुनील गोयल सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "ग्लोबल प्राइवेट आई.टी.आई. कॉलेज हजीरा रोड ग्वालियर से हिन्दी स्टेनोग्राफर के एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने एवं नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/5697 /
दो-14-9/83 भाग-18 बैंच

जबलपुर, दिनांक 26/10/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 5106/स्थापना/34/ग्वालियर, दिनांक 18.09.2018 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री सुनील गोयल सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
रजि

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5698 /

जबलपुर, दिनांक 26 / 10 / 2018

श्री शिवशंकर, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "इस्लामिया टेक्नीकल एण्ड व्होकेशनल इंस्टिट्यूट (Private I.T.I) इंदौर से अंग्रेजी स्टेनोग्राफर" का 1 वर्षीय कोर्स करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
12. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल
for

पृष्ठांकन क्रमांक B/5699 /

जबलपुर, दिनांक 26 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167-ए 1972 इंदौर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर / इंदौर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री शिवशंकर, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5700 /
दो-14-9/83 भाग-18 बेंच

जबलपुर, दिनांक 26/10/2018

कुमारी शिवानी कोरकू, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (Ignou University) से बी.सी.ए त्रि-वर्षीय (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने एवं स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(अरविन्द कुमार शुक्ला)


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5701 /
दो-14-9/83 भाग-18 बेंच

जबलपुर, दिनांक 26/10/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 4993/स्थापना/34/ग्वालियर, दिनांक 10.09.2018 के संदर्भ में।
 2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. कुमारी शिवानी कोरकू, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5702 /

जबलपुर, दिनांक 26/10/2018

श्रीमती प्रीति गुप्ता, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को न्यायिक शाखा के फाइलिंग अनुभाग में चेकर के रूप में कार्यरत रहते हुये रिट पिटीशन क्रमांक 18609/2018 एवं 18822/2018 चैक करने के उपरांत अधिवक्ता द्वारा दायर कैवियट क्रमांक 1523/2018 एवं 1444/2018 को उक्त रिट पिटीशनों साथ संलग्न न करने की त्रुटि करने के फलस्वरूप चेतावनी (Non recordable) दी जाती है, कि भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें एवं त्रुटि की पुनरावृत्ति करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
Bar

पृष्ठांकन क्रमांक B/5703 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 26/10/2018

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. डिप्टी रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 6. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 7. श्रीमती प्रीति गुप्ता, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Bar